बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–1/विविध–13/2017– 816(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 20/07/2018

सिविल अपील संख्या–5041/2005 पी0ए0 इनामदार एवं अन्य बनाम् महाराष्ट्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–12.08.2005 को पारित न्यायादेश के आलोक में गठित शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना के दिनांक–14.07.2018 की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में राज्य के निजी प्रक्षेत्र में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS पाठ्यक्रम के लिए निम्नरूपेण शिक्षण शुल्क निर्धारित किया जाता है–

क्र0 सं0	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	कोर्स का नाम	शैक्षणिक बैच जिसके लिए शुल्क निर्धारित है	ट्यूशन फी (प्रति वर्ष रूपये में)	Development Fee	कुल शुल्क
1	कटिहार मेडिकल कॉलेज, कटिहार	MBBS Under Graduate Course (4.5 Yrs.)	2018-19 2019-20 2020-21	7,38,000	1,00,000	8,38,000
2	नारायण मेडिकल कॉलेज, जमुहार, रोहतास	MBBS Under Graduate Course (4.5 Yrs.)	2018-19 2019-20 2020-21	7,21,000	1,00,000	8,21,000
3	माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, किशनगंज	MBBS Under Graduate Course (4.5 Yrs.)	2018-19	7,00,000	1,00,000	8,00,000

2– उक्त निर्धारित शुल्क में Hostel Fee, Transport Fee, Mess Charge आदि शामिल नहीं हैं।

3– उपर्युक्त निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2018–19 में/से नामांकित छात्र–छात्राओं के लिए प्रभावी होगा। इसमें सभी वार्षिक शुल्क शामिल हैं।

4– MBBS (UG) Course की अवधि 4.5 वर्षो की होती है। तदनुसार उक्त शुल्क निर्धारण उपरोक्त बैचों के लिए 4.5 वर्ष के लिए की जाती है।

5– संस्थान उक्त निर्धारित राशि से अधिक कोई अन्य राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लेंगे। ऐसा किये जाने पर संस्थान को "capitation fee" लेने का दोषी माना जायेगा एवं नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Kaushal 20/7/18

(कौशल किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव

F:/Sec_1_____typing_01

क्रमशः

10

ज्ञापांकः–1/विविध–13/2017– ८१८(१) /स्वा0, पटना, दिनांक– 20/07/2018

प्रतिलिपिः– प्रभारी "ई" गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, नामांकन पर्यवेक्षण समिति, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कैम्पस, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, कटिहार मेडिकल कॉलेज, कटिहार/माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, किशनगंज/नारायण मेडिकल कॉलेज, जमुहार, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव

F:/Sec_1___typing_01